कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलौदाबाजार-भाटापारा छ०ग०

कमाक / 1159 / आ वि / वन अधिकार पत्र / 2019-20 प्रति

बलौदाबाजार, दिनाक - 13.01.2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ ग इफोटेक प्रमोसन सोसायटी (CHIPS) रायपुर

विषय :-

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना " भारत प्रोजेक्ट (A PART OF DIGITAL INDIA) सफल कियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभयारण क्षेत्रान्तर्गत कसडोल ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानातर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केंबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रस्ताव तैयारि किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित वनमूमि 1.137 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि निरंक कुल 1.137 का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि का अनापति पत्र CEO छत्तीसगढ इफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर के नाम से प्रदान करने विषयक।

संदर्भ -

प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रो.लि. रायपुर का पत्र /कमांक/भानेप्रो-॥/वनभूमि/एमआरए -अनापति / 2019-20 / 31 रायपुर दिनांक 02.12.2019

विषयांतर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना " भारत प्रोजेक्ट (A PART OF DIGITAL INDIA) सफल कियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभयारण क्षेत्रान्तर्गत कसडोल ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रस्ताव तैयारि किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित वनभूमि 1.137 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि निरंक कुल 1.137 का FRA प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापास

पृ. कमांक / 1159A / आ.वि. / वन अधिकार पत्र / 2019-20 प्रतिलिपि :-

बलौदाबाजार, दिनांक - 13.01.2020 1. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर, छत्तीसगढ़ को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रस्तृत ।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

FORM-I

(for linear projects)

Government of India

Office of the District Collector Balodabazar-Bhatapara

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes real with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respects of linear projects, it is certified that 1.137 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of

CEO, CHHATTISHGARH INFOTEK PRAMOTION SOCITY (CHIPS) RAIPUR C.G. (name of the user agency) FOR laying Optical Fiber Cable For "BHARAT NET PROJECT" A PART OF DIGITAL INDIA (Purpose For Diversion of Forest land) in Bar Nawapara Sanctuary. Balodabazar Forest Division, Balodabazar-Bhatapara district Which falls within juidiction of Balodabazar-bhatapara District i.e. Kasdol Block. It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.137 Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and Ditrict Level Committee are enclosed and annexure (Not Applicable).
- (b) The diverson of forest land for facilities managed by the government as required under section 3
 (2) of the FRA have been completed and the District Level Committee have given their consent to it; (Not Applicable).
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Pimitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Shri Kartikeya Goyal Collector

Balodabazar-Bhatapara